यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग** के माह 04/2015 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुधीर कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06-11-2017 से 09-11-2017. तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखा परीक्षा है

   (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

   (अ) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग** का मुख्य कार्यकलाप में का मुख्य कार्यकलाप आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन तथा केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, टीकाकरण एवं टीएचआर/ कुक्ड फूड के संचालन करना ।

   (ब) **बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग** एवं इकाई द्वारा संचालित योजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र समस्त ऊखीमठ के विकास खण्ड में स्थित है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `(समर्पण)
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	----	----	42.18	24.74	138.54	128.58	----	27.40
2016-17	----	----	69.88	29.46	245.25	217.58	----	68.09
2017-18 (Up to Aug. 2017	----	----	28.45	1.99	114.77	83.55	----	57.68

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
	------------	शून्य	-----------	
	------------	शून्य	-----------	
	------------	शून्य	-----------	

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत निदेशक आई॰ सी॰ डी॰ एस॰ देहरादून, एवं भारत सरकार से प्राप्त होते है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ 5. सुपरवाइज़र 6. आंगनवाड़ी कार्यकत्री 7. आंगनवाड़ी सहायिका

2. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 एवं 07/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 :- 2.03 लाख के अर्जित ब्याज एवं की धनराशि को शासन को प्रेषित न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं॰ 99/ xxvii (14) 2009 दिनांक 03.12.2009 के द्वारा ब्याज की धनराशि को तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी मद में ब्याज की धनराशि को व्यय किया जाना हो तो वित्त विभाग से पृथक शासनादेश उपलब्ध होना चाहिए तथा उस धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से की जाएगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग के योजनाओं के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि विभाग को आबंटित धनराशि पर बेंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, वर्ष 2015-16 से 2017-18 (सितम्बर 2017 तक) की अवधि में प्राप्त ब्याज की राशि को 0049 में जमा न करने या धनराशि को आगामी वर्षों में समायोजित करते हुये शेष धनराशि की मांग शासन से नहीं किए जाने से ब्याज की धनराशि रुपए 2,02,655.00 लम्बित हैं, जिसे तत्काल 0049 लेखा शीर्ष में जमा कर दिया जाना चाहिए, ब्याज की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बैंक में ब्याज की धनराशि प्रति वर्ष बढ़ रही थी तथा विभाग द्वारा ब्याज की धनराशि रूपये 2.03 लाख को शासन को वापस नहीं किया जा रहा था, जो शासनादेश के प्रति उदासीनता को प्रकट करती है।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि विभाग द्वारा 2.03 लाख की धनराशि को राजकोष में जमा कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उक्त धनराशि को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि विभाग द्वारा एक से दो वर्ष बीत जाने के पश्चात भी विभाग द्वारा शासन को धनराशि वापस नहीं की गयी। जिससे न केवल उक्त धनराशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध है, जिसका विकास कार्यों पर उसका उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अतः विभाग द्वारा रू॰ 2.03 लाख के अर्जित ब्याज की धनराशि को शासन को प्रेषित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- : विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किया जाना।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के माध्यम से आगनवाड़ी केन्द्रो द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, योजनाओं से संबन्धित धनराशि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर आगनवाडी कार्यकरती के बैंक खाते मे हस्तांतरित किया जाता है। संचालित योजनाओ के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का उत्तरदायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर का होता है।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 196-97 दिनांक 21.5.2002 द्वारा आगानवाड़ी केन्द्रो के निरीक्षण के सम्बंध मे दिशानिर्देश जारी किया गया था, उक्त के अनुसार विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को माह 5 से 10 दिन बाल विकास परियोजना अधिकारी को 10 से 15 दिन तथा मुख्य सेविका को 15 से 20 दिन प्रति माह भ्रमण किया जाना अनिवार्य होगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी ओखीमठ जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं एवं उसके निष्पादन हेतु ओखोमथ परियोजना कार्यालय हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी के 01 पद तथा सुपरवाइजर के 06 पद स्वीकृत हैं। जांच मे पाया गया की ऊखीमठ परियोजना मे बाल विकास परियोजना अधिकारी का पद रिक्त था, तथा 06 सुपरवाइसर के पद के सापेक्ष 03 *पद* पर तैनाती थी शेष 03 पद रिक्त थे। 25 आगनवाडी केन्द्रो पर एक सुपरवाइजर की तैनाती का प्राविधान है, 1525 केन्द्रो के सापेक्ष मात्र 03 सुपरवाइजर की तैनाती स्वतः प्रदर्शित करती है की एक सुपरवाइसर को औसतन 51 केन्द्रो के पर्यवेक्षण का दायितत्व था। एक सुपरवाइसर द्वारा एक माह मे, पहाड़ी क्षेत्र मे 51 आगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया जाना किसी भी दशा मे संभव नहीं था, इससे स्पष्ट है कि आगनवाड़ी केन्द्रों का हर माह निरीक्षण नहीं किया जा रहा था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की ओखीमठ परियोजना कार्यालय मे स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचरियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई भी प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्राविधानों के अंतर्गत नहीं किया जा रहा था।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर कार्यालय ने अवगत कराया कि सुपरवाइज़र की तैनाती हेतु मासिक प्रगति के माध्यम से सूचना भेजी जाती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइज़र के पद रिक्त होने के कारण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा केन्द्रों का भ्रमण नहीं किया जा रहा था जिससे आंगनवाड़ी केन्द्रों का सही ढंग से पर्वेक्षण जैसे कार्य बाधित हो रहे हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि बाल विकास विभाग के अन्तर्गत ऊखीमठ परियोजना कार्यालय मे स्टाफ की भारी कमी थी, आवश्यकतानुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों की तैनाती हेतु भी इकाई द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया था। विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के अनुश्रवन एवं मूल्यांकन निर्धारित मानको एवं प्राविधानों के अंतर्गत नहीं किए जा रहे थे।

अतः मानव संसाधन प्रबंधन तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01: विभागीय उदासीनता एवं अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक 116 लाभार्थियों को रूपये 17.40 लाख का भुगतान लम्बित रहना एवं 86.40 लाख का अनियमित भुगतान।

राज्य सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना 'हमारी कन्या हमारा अभियान योजना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्तें पूरी करते हों चाहे इसके पूर्व उनकी अन्य जीवित सन्तानें भी हों को दिया जाएगा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रूपये 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के अन्दर 5000/- की धनराशि A/c Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष धनराशि रूपये 10,000/- एफ॰ डी॰ के माध्यम से बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते मे E-transfer के माध्यम से रूपये 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ॰ डी॰ करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग की नन्दा देवी योजना के नमूना जांच के समय यह तथ्य प्रकाश में आया कि योजना के अन्तर्गत सम्प्रेक्षा अवधि सितम्बर 2017 तक कुल प्राप्त 980 आवेदनों के सापेक्ष मात्र 864 लाभार्थियों को ही उक्त योजना के अन्तर्गत रूपये 15000/- की दर से भुगतान किया गया, जबकि लेखा परीक्षा (सितम्बर 2017) तक 116 लाभार्थियों को रूपये 15000/- प्रति लाभार्थी की दर से रूपये 17.40 लाख का भुगतान किया जाना लम्बित था।

आगे यह भी देखा गया कि इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रुपए 5000.00 की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम भुगतान किया गया था तथा रूपये 10000.00 की एफ़डीआर बनाकर दे दिया जा रहा था जबकि उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके और शेष राशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर तथा अन्य शर्ते पूरी होने पर भुगतान किया जा सके। परन्तु विभाग द्वारा नियमो एवं प्रावधानों के इतर 864 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 प्रति लाभार्थी की दर से प्रोत्साहन राशि रुपए 86.40 लाख का भुगतान 10 वर्ष की एफ़डीआर के रूप कर दिया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा इस योजना को सम्यक रूप से लागू न किए जाने के कारण 116 लाभार्थी इस योजना के लाभ से वंचित रहे, जो कि असम्यक योजना के असफल क्रियान्वयन धोतक था। विभाग द्वारा नियमो एवं प्रावधानों के इतर 864 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 प्रति लाभार्थी की दर से प्रोत्साहन राशि रुपए 86.40 लाख का भुगतान 10 वर्ष की एफ़डीआर के रूप कर दिया गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन थी, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी थी।

उक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की तथा अवगत कराया कि 40 लाभार्थियों द्वारा समय पर संयुक्त खाता उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान नहीं हुआ तथा 76 लाभार्थियों को बजट के अभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। शासन से बजट प्राप्त होने पर लाभार्थियों को भुगतान कर दिया जाएगा। लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाता है तथा 864 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 की एफ़डीआर दी जा चुकी है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि योजना के लाभ हेतु आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना स्तर पर प्राप्त किये जाते है। आवेदन पत्र जांच के समय ही लाभार्थी की खाता संख्या प्राप्त कर ली जानी चाहिए थी परंतु विभागीय उदासीनता एवं लापरवाही की वजह से आवेदन पत्रों की जांच ठीक से नहीं की गयी जिससे 116 लाभार्थियों को योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा तथा 864 लाभार्थियों को रूपये 10000.00 की एफ़डीआर लाभार्थीयों को दे दिया गया था। उक्त एफ़डीआर विभाग के पास होनी चाहिए थी, जिससे कि 10 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थियों रुपए 5000.00 का भुगतान किया किया जा सके। इकाई द्वारा की गयी कार्यवाही न केवल योजना के प्राविधानों का उल्लंघन था, अपितु योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक भी था।

अतः विभागीय उदासीनता एवं योजना के अंतर्निहित उद्देश्यों की पूर्ति मे बाधक होने से 116 लाभार्थियों को रूपये 17.40 लाख का भुगतान लाबित रहने तथा धनराशि रुपए 86.40 लाख का अनियमित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
-------	प्रथम लेखा	परीक्षा	------

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
-------	प्रथम लेखा	परीक्षा	------	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) 148 आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किये गये।

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्री उदय प्रताप सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	13.11.14 से 06.10.15
2	श्री दीवान सिंह मेहरा	बाल विकास परियोजना अधिकारी	31.10.15 से 18.04.16
3	श्री धर्मवीर सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	19.04.16 से 15.03.17
4	श्रीमती धनेश्वरी नेगी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	18.03.17 से 26.04.17
5	श्री धर्मवीर सिंह	बाल विकास परियोजना अधिकारी	27.04.17 से 24.09.17
6	श्री मोहन सिंह नेगी	बाल विकास परियोजना अधिकारी	28.9.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र